



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय  
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

**परामर्श सेवाओं के लिए रूचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध (आरईओआई)**

**पोर्टल विकास और ईआरपी कार्यान्वयन के लिए सेवा प्रदाता का चयन  
केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल(सीपीपीपी) पर ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से  
परियोजना का नाम : प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम-विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना**

**1. परियोजना का सार**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुमानित लागत से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना अर्थात् प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का कार्यान्वयन कर रही है। और यह नियत किया गया है कि इन प्रापतियों के कुछ भाग का उपयोग 'पोर्टल विकास एवं ईआरपी कार्यान्वयन' की सेवाओं के लिए दिए जाने वाले ठेकों के भुगतान के लिए किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया इस आरईओआई के माध्यम से शुरू की गई है।

प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के बारे में और अधिक विवरण <http://dcmsme.gov.in/tcsp.html> पर उपलब्ध है।

**3. पात्रता**

- परामर्शदाता भारत में एक पंजीकृत वैधानिक इकाई होनी चाहिए और वह भारत में कम से वर्षों से परिचालित हो। परामर्शदाता के पास एसईआई सीएमएम स्तकम पिछले पांच वित्तीय र 5 का वैध प्रमाण-पत्र हो।
- पिछले 3 वित्तीय वर्षों में परामर्शदाता का अपने आईटी कारोबार में न्यूनतम वार्षिक औसत टर्नओवर एक करोड़ अमरीकी डॉलर से कम नहीं होना चाहिए।
- परामर्शदाता को भारत में केंद्र/ राज्य सरकार/ पीएसयू की आईटी परियोजनाओं में जिसमें आईटी प्रणाली में डिज़ाइन बनाना और विकास संबंधित काम का अनुभव होना चाहिए।
- परामर्शदाता के पास प्रस्तावित ईआरपी के अनुकूलन में काम करने का अनुभव होना चाहिए।
- परामर्शदाता के पास डिजिटल सामग्री विकास के ऑनलाइन शिक्षण डोमेन-सामग्री और पटकथा के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन व्याख्यान की रचना, विडियो उत्पादन और पैकेजिंग के समेत में पूर्व अनुभव हो।

विस्तृत आरईओआई और अन्य पात्रता मानदंड के लिए <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर देख सकते हैं (टेंडर आईडी:2016\_DC\_126508)

**2. कार्यभार**

भारत सरकार का अभिप्रेत पोर्टल विकास एवं ईआरपी कार्यान्वयन क्षेत्र के लिए सेवा प्रदाता नियुक्त करना है। सेवा प्रदाता की सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रौद्योगिकी केन्द्रों, परीक्षण केन्द्रों और परीक्षण स्टेशनों के सभी प्रमुख कार्यों को शामिल करते हुए उनके लिए सामान्य उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) का कार्यान्वयन
- टीसीएसपी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण, एमएसएमई मंत्रालय की सभी योजनाओं के लिए संयुक्त मंच का प्रावधान, और एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद सेवाएं
- प्रौद्योगिकी केन्द्रों में प्रशिक्षण सामग्री का डिजिटलीकरण

**4. ईओआई प्रस्तुतीकरण**

रूचि की अभिव्यक्ति केवल केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ही जमा कराई जानी है। बोलीदाताओं को इस वेबसाइट पर पंजीकरण करना आवश्यक है। बोली जमा करने के लिए, बोली लगाने वालों के पास वेबसाइट में निर्दिष्ट भारत के किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि **26 अक्टूबर, 2016 (1600 बजे भारतीय मानक समय)** है। व्यक्तिगत रूप से जमा कराई ईओआई स्वीकार नहीं की जाएंगी। स्पर्धीकरण वेबसाइट पर प्रश्न पूछकर अथवा निम्नोक्त को लिख कर प्राप्त किया जा सकता है:

निदेशक (टूल रूम),  
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय,  
कमरा सं. 723-ए, 7 वां तल, 'ए', विंग, निर्माण भवन,  
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110 108  
दूरभाष: +91 11 23062561, फैक्स +91 11 23061068  
ईमेल : [tcsp@dcmsme.gov.in](mailto:tcsp@dcmsme.gov.in)